

84/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
4/3/24	कं. फा. 03/24	पुनः पुनर्गठित ब्रांच / कर्मचारियों के बंधन करने हेतु निर्देश - पश्चात् पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 07/03/24 को पेश हो।
07/03/24	कं. फा. 03/24	पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 22/03/24 को पेश हो।
22/03/24	कं. फा. 03/24	वकीलों द्वारा आज्ञा का पालन/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 11/4/24 को पेश हो।
11/4/24	कं. फा. 03/24	पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 08/4/24 को पेश हो।
08/4/24	कं. फा. 03/24	पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 18/4/24 को पेश हो।
18/4/24	कं. फा. 03/24	पुनः बंधन स्वीकृत / पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 26/4/24 को पेश हो।
26/4/24	कं. फा. 03/24	पत्रावलोकन कार्य के लिए दिनांक 26/4/24 को पेश हो।



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

विकास बनाम गांगा शहाय

क्र. नम्बर :- 84/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>क्रिया गया। एहस पर मनन किया गया। पत्र 07 RII CPC स्वीकार किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, अतः पत्र 08 RII CPC स्वीकार किया जाकर विस्तृत मिर्ग्य प्रकृत से हिरवणाय जाकर शामिल मिसल किया गया। डिफ़ी जारी है, फ़ावली कंसल सुमाह होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं कारिकल फ़रत है।</p>	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूं, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री रतन कोर (R.A.S.)

वाद संख्या :-84/2016

विकास

बनाम

गंगासहास वगै०

(वाद-पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

आदेश

दिनांक:-26.04.2024

प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 1 व 2, 6 ता 8 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी-अप्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर विधिक सिद्धान्तों के विपरित उक्त वाद पत्र पेश किया है, जबकि वास्तविकता में वादी-अप्रार्थी वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती, इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पुराना वाद संख्या 388/106/2004 व हाल वाद संख्या 84/2016 पेश कर रखा है। उक्त वाद पत्र में विवादित भूमियां जो कि वाद पत्र के मद नम्बर 3 व 4 में अंकित करते हुये एवं विवादित भूमियों को पैतृक, संयुक्त खातेदारी की भूमियां होना अंकित करते हुए, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना अंकित किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने साबिक खसरा नम्बर 1921/1 व खसरा नम्बर 1925/3 कुल किता 2 का कुल रकबा 22 बीघा व खसरा नम्बर 1925/2/3 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम चौमूं के साबिक खातेदार नथमल पुत्र रामचन्द्र बेरीवाल से जरिये विक्रय पत्रों के दिनांक 08.12.1969 को भूमियां खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, जिनके नामान्तरण संख्या 405 व 407 दिनांक 09.01.1970 को खोले गये थे। वाद पत्र में वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये विक्रय पत्रों के भूमियों के प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 12 को बेचान की जा चुकी थी जो बेचान सन् 2002 व 2004 में दिया जा चुका है। जिस भूमियों को उक्त क्रेत्रियों द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये सुविधाओं का निर्माण कर सक्षम प्राधिकरण श्रीमान् आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष धारा 90(बी) भू-राजस्व एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही हो चुकी है तथा उक्त भूमियों की वर्तमान खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से चली आ रही है तथा भूमि में आवासीय कॉलोनी की बसावट हो चुकी है। उक्त भूमियों के अलावा शेष बची भूमियां हाल खसरा नम्बर 6792/7945, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804/7435, 6841 कुल किता 11 का कुल रकबा 4.53 है० भूमियों के बाबत एक वाद उनवानी गंगा सहाय बनाम प्रभूदयाल वगै० के वाद संख्या 243/2005 न्यायालय उप- खण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर के अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2011 के आधार पर कानूनी रूप से तकासमा किया जाकर, उक्त तकासमा का तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर के नामान्तरण संख्या 1265 दिनांक 30.03.2011 को खोला जा चुका है। उक्त तकासमा का अंकन हाल जमाबन्दी सम्बत् 2067 से 2070 में किया जा चुका है। जब न्यायालय श्रीमान् द्वारा भूमियों का कानूनी रूप से तकासमा हो चुका है एवं अलग- अलग खातेदारी दर्ज हो चुकी है, जिसके बावजूद कानूनन उक्त

निर्णय डिक्री को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना, किसी भी प्रकार से इस न्यायालय को उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादीगण ने वाद संख्या 243/2005 के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील संख्या 18/2017 व 19/2017 उनवानी विकास वगै० बनाम गंगासहाय वगै० प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरुद्ध पेश की थी, जिन दोनों अपीलों का निर्णय दिनांक 26.06.2017 को दोनों अपीलों खारिज की गई थी तथा न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2011 यथावत रखा गया था तथा वादीगण ने उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2017 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की थी, जो निगरानी संख्या 4864/2017 व 4865/2017 जयपुर उनवानी विकास वगै० बनाम गंगा सहाय वगै० पेश की गई, जिनका निर्णय दिनांक 12.07.2018 को एडमिशन स्तर पर ही खारिज की गई थी, इस कारण भी वादीगण वाद पत्र में किसी भी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण ने मान्य न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 सी.पी.सी. को पेश कर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिन खातेदारी भूमियों को सम्मिलित करने हुए व पूर्व में न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर द्वारा वाद संख्या 243/2005 में भूमियों का विभाजन दिनांक 29.01.2011 को किया जाकर अलग-अलग खातेदारी खोली जा चुकी हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से में आई भूमियों में भूमि बेचान भी की जा चुकी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने सभी पुत्रों प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 के हक में भी विक्रय पत्र करवाये जा चुके हैं तथा वादीगण के पिता रामकिशोर के हक में भी भूमि खाता संख्या 59 में हिस्सा 133/3600 की भूमि बेचान की जा चुकी हैं तथा उसके उपरान्त भी वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को छुपा कर प्रस्तुत किया है जोकि वादीगण का वाद पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य हैं। वादपत्र में वादीगण द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश किया गया है। लेकिन वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी जमाबन्दी पेश नहीं की गई है, ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की भूमियों की जमाबन्दी पेश की है। जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमियों के बाबत वाद पत्र में वादीगण किसी भी प्रकार से पक्षकार संयोजित किये बिना व कानूनन जयपुर विकास प्राधिकरण 1982 की धारा 79 के अनुसार कानूनी नोटिस दो माह का दिये बिना एवं वर्तमान में भूमि आवासीय होने से राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने व आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने से वादीगण का वाद पत्र कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण ने वाद पत्र पैतृक पुश्तेनी भूमि मानकर वादपत्र पेश किया है। जबकि भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की स्व-अर्जित भूमियां हैं। वादीगण ने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 6 ता 8 को नाजायज हैरान व परेशान करने व तुच्छ व तंग करने व वाद हेतुक के अभाव में विधि द्वारा वर्जित (बार्ड बाई लॉ) होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। न्यायिक दृष्टान्त डी. एन. जे 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेर सिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया है कि प्रकरण में तथ्य एवं विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है, इसलिये वादीगण का वाद पत्र तुच्छ व तंग व परेशान करने वाला है इस प्रकार के वाद पत्र को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये व डी.एन.जे. 2019(3) पेज नम्बर 946 एच. डी.न. जे. (एम. सी.) 2019 डी. एन. जे. 2017 (1) में भी वादीगण का वाद पत्र तुच्छ व तंग एवं परेशान करने वाला हो तो दबा देना चाहिए। वादीगण

कलकत्ता
सहायक
डी.एन.जे.



का वाद पत्र कानूनन विधि विरुद्ध व बार्ड बाई लॉ व प्रतिवादीगण को तुच्छ, तंग करने व बिना वाद कारण उदित हुए व भूमि स्व-अर्जित को पुश्तैनी भूमि बताकर व जयपुर विकास प्राधिकारण की सरकारी भूमि जिसमें आवासीय बसावट हो चुकी है व विक्रय पत्रों को प्रभाव शुन्य घोषित करवाने व पूर्व में वाद संख्या 243/2005 में अन्तिम निर्णय को निरस्त करवाने की दादरसी चाही गई है जो दादरसी कानूनन राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 29.01.2011 को यथावत रखने से वादीगण का वाद सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर झूठे तथ्यों पर पेश किया है। इस कारण वाद पत्र को कानूनन खारिज किये जाने योग्य हैं।

अप्रार्थी/वादीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण-अप्रार्थीगण ने अपने पुश्तैनी हक व स्वामित्व की भूमि होने के कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पुश्तैनी हक आधार पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादीगण-अप्रार्थीगण के परदादा मांगीलाल पुत्र बक्शाराम निवासी मदरामपुरा जयपुर की संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी हक व स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 342, 343, 346, 442, 340, 348 भूमि में से 4 बिस्वा भूमि अपने पास रखते हुये शेष भूमि को सिविल लाईन हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर के चैयरमेन अमरचन्द पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल निवासी गुरु नानकपुरा राजापार्क, आदर्श नगर जयपुर एवं सचिव आँकर पुत्र अनन्तराम बागडा को 17000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 76500/- रुपये के बदले में जरिये प्रतिज्ञा पत्र सरेण्डर कर 37500/- रुपये दिनांक 19.08.1969 को प्राप्त कर लिये एवं 10000/- रुपये दिनांक 08.12.1969 को प्राप्त कर लिये उक्त पुश्तैनी हक व स्वामित्व की भूमि के बैचान से जो प्रतिफल प्राप्त हुआ उस आय से वादीगण-अप्रार्थीगण के परदादा मांगीलाल पुत्र बक्शाराम ने अपने चारों पुत्र गंगासहाय, खूबचन्द, चन्दालाल, प्रभूदयाल के नाम से दिनांक 02.12.1969 व दिनांक 08.12.1969 को अलग-अलग विक्रय पत्रों के जरिये चौमूं में स्थित उक्त विवादित भूमि की खदीर की थीं। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त भूमि जो वादीगण-अप्रार्थीगण के दादा द्वारा खरीद की गई थी वह भूमि पुश्तैनी भूमि को बैचान करने से हुई आय से खरीद की गई थी, जिन विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरण संख्या 405 व 407 दिनांक 09.01.1970 को खोले गये थे जिससे पूर्णतया साबित है कि उक्त भूमि वादीगण-अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जिसके सन्दर्भ में मिन वादीगण-अप्रार्थीगण ने पुश्तैनी हक अधिकार के आधार पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मिन वादीगण-अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में अपने हक व स्वामित्व के हिस्से की भूमि जो कि पुश्तैनी भूमि को बैचान करने के पश्चात् होने वाले आय से खरीद की हुई है, जिसमें मिन वादीगण-अप्रार्थीगण का पुश्तैनी हक हिस्सा निहित है, जो बैचान किया गया था वह पूर्णतया अवैध व निष्प्रभावी था जो वादीगण-अप्रार्थीगण के हक अधिकारों के प्रति नल एण्ड वोर्ड हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 9 ता 12 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था कि वह बिना तकासमा हुये बिना किसी भी भूमि का बेचान व हस्तान्तरण करने ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण-प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रतिवादीगण-प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा आपस में कोल्यूनन कर मिन वादीगण-अप्रार्थीगण की पुश्तैनी हक व स्वामित्व की भूमि को हडप करने के लिये बाला-बाला खसरा नम्बर 6792/7945, 6796, ता 6803, 6804/7435, 6841 कुल कित्ता 11 का कुल रकबा 4.53 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आपस में कोल्यूनन

कर तकासमा करवाया गया था जिसको जानकारी होने के साथ ही मिन वादीगण-अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 18/17 व 19/17 भी पेश की गई थी एवं राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ पेश हुई जिसको खारीज होने के पश्चात् उसकी एक रिविजन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय अपने आप में मिन वादीगण-अप्रार्थीगण के हक अधिकारों के प्रति नल एण्ड बोर्ड है तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष उसकी अपील विचाराधीन है। विवादित भूमि के पूर्व के खसरा नम्बर के आधार पर जो हाल खसरा नम्बर बने है तथा उक्त प्रकरण में जो विवादित भूमि खसरा नम्बर बने है तथा उक्त प्रकरण में जो विवादित भूमि खसरा नम्बर है उन सभी को सम्मिलित करते हुये वादीगण-अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष साबिक खसरा नम्बर व हाल नम्बर के आधार पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, उक्त विवादित भूमि में अपने पुश्तैनी हक व स्वामित्व की घोषणा हेतु उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में हाल खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बर को सम्मिलित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण-अप्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र कतई बार्ड बाई लॉ ना होकर विधिक सिद्धान्तों के आधार पर पुश्तैनी हक व स्वामित्व के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रकरण को डिले करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण-अप्रार्थीगण द्वारा जो संशोधन करवाया गया है वह साबिक नम्बरो से हाल खसरा नम्बर बने है उनके आधार पर संशोधन करवाया गया है जिनकी हाल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल एवं पूर्व में करवाये गये विक्रय पत्रों में वर्णित खसरा नम्बर के आधार पर सम्पूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, साथ ही जहां तक जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 79 के कानूनी नोटिस का सवाल है उक्त प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के खिलाफ वादीगण-अप्रार्थीगण द्वारा कोई रिलिफ नही चाहा गया है ना ही अपने वाद व प्रार्थना पत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है, वादीगण-अप्रार्थीगण ने अपने पुश्तैनी हक की घोषणा के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिन पक्षकारान से रिलिफ की आवश्यक थी उन पक्षकारान को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाकर विधि अनुसार उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बाला-बाला प्रतिवादी संख्या 4 के हक में दिनांक 18.04.2012 को उक्त पुश्तैनी भूमि में से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था जिसके सन्दर्भ में एक वाद विकास बनाम गंगा सहाय वगै० के नाम से निरस्त किये जाने विक्रय पत्र व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 54/17 दिनांक 02.11.2017 को मैरिटस पर स्वीकार किया जा चुका था साथ ही उसकी अपील गंगा सहाय बनाम विकास वगै० के नाम से 20/17 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौमू क्रम-10 के यहां पेश की गई थी जो भी माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.03.2022 को खारीज कर दी गई, साथ ही अप्रार्थीगण-वादीगण द्वारा विक्रय पत्र को शुन्य घोषित करवाने हेतु पुश्तैनी हक व स्वामित्व के आधार पर घोषणा चाही है वह केवल मात्र राजस्व ही प्रदान कर सकता है इस कारण वादीगण-अप्रार्थीगण ने जो वाद व प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश किया है वह विधिक सिद्धान्तों के अनुरूप पेश किया गया है। प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना पत्र

पेश किया है वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 नियम 11 के प्रावधानों के विपरित पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र कतई आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। प्रार्थीगण-प्रतिवादीगण द्वारा जो भी उज्र व ऐतराज है उनको अपनी जवाबदेही के माध्यम से पेश किया जा चुका है उन आधारों पर तनकीयात कायम करने के पश्चात् दोनों पक्षों की साक्ष्य के पश्चात् तय किये जावेंगे उक्त प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2022(3) C.C.C. -001 (SC), 2022(3) C.C.C. -019 (KHC), 2021(4) C.C.C. -166 (HP), 2021(4) C.C.C. -686 (PH), 2021(3) C.C.C. -561 (SC), 2021(3) C.C.C. -571 (CHHATTISGARH HC), 2010(2) C.C.C. -549 (AP) पेश किये गये।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा०पत्र एवं पत्रावली व न्यायिक दृष्टान्तों का बगौर अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पैतृक, संयुक्त खातेदारी की भूमियों होना अंकित किया जाकर वाद पत्र पेश किया गया। जबकि विवादित भूमि क्रयशुदा भूमि होने एवं आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये सुविधाओं का निर्माण कर जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष धारा 90(बी) भू-राजस्व एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही हो चुकी है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2011 के आधार पर कानूनी रूप से तकासमा किया जाकर नामान्तरण संख्या 1265 दिनांक 30.03.2011 को खोला जा चुका है। वादीगण द्वारा नियमानुसार सक्षम न्यायालय में पैतृक भूमि के विक्रय करने से अर्जित आय से विवादित भूमि के क्रय किये जाने की घोषणा पैतृक भूमि के रूप में तथा विक्रय पत्र खारिज करवाने की चाराजोही किया जाना चाहिए था। भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की स्व-अर्जित भूमियां हैं। वादीगण ने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 6 ता 8 को नाजायज हैरान व परेशान करने व तुच्छ व तंग करने व वाद हेतुक के अभाव में विधि द्वारा वर्जित (बार्ड बाई लॉ) होने से पेश किया प्रतित होता है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त डी. एन. जे 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेर सिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया है कि प्रकरण में तथ्य एवं विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं हैं, इसलिये वादीगण का वाद पत्र तुच्छ व तंग व परेशान करने वाला है इस प्रकार के वाद पत्र को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये व डी.एन.जे. 2019(3) पेज नम्बर 946 एच. डी.न. जे. (एम. सी.) 2019 डी. एन. जे. 2017 (1) में भी वादीगण का वाद पत्र तुच्छ व तंग एवं परेशान करने वाला हो तो दबा देना चाहिए, चस्पा होते है। ऐसे में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा०ट्रै०/मुख्यालय) चौमूं
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) ,चौमूँ, जयपुर
-:अधिकारी पीठासीन :- रतन कौर (R.A.S.)

विकास बनाम गंगासहास वगै0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

वाद संख्या :-84/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रुबरू श्री रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद (Maintainable)पोषणीय नही होने के कारण खारिज जाता है।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.04.2024 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत
ओहदा.....सहायक (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	2
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2